न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/07/2015

वउनवान

1. किरनबती पत्नी शिवराम पुत्री गुलाब जाति जाट निवासी खैडामैदा तहसील कठूमर हालवासी सुंजालपुर तहसील नगर

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खैडामैदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खैडामैदा तहसील कठूमर
2. जैसीराम पुत्र गुलाब जाति जाट निवासी खैडामैदा तहसील कठूमर
3. गोरधन पुत्र गुलाब जाति जाट निवासी खैडामैदा तहसील कठूमर

असल रेस्पोडेण्टस

4. सम्पति पत्नी लालसिंह पुत्री गुलाबसिंह जाति जाट हाल सुजालपुर
5. औमप्रकाश पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी खैडामैदा हाल बरोलीरान
6. मोरध्वज पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी खैडामैदा हाल बरोलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर

----- तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत मसारी
दिनांक 24.11.1990 इन्तकाल संख्या
382 वाके ग्राम खैडामैदा

उपस्थित :-

श्री औमवीरसिंह चौधरी : वकील अपीलाण्ट

श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी: वकील रेस्पो0सं0 2-6

निर्णय

दिनांक 15.06.2018

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि अपीलाण्ट के पिता गुलाब पुत्र उमरावसिंह जाति जाट निवासी खैडामैदा की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

भूमि ग्राम खैडामैदा तहसील कठूमर में स्थित है। अपीलाण्ट के पिता गुलाब पुत्र उमरावसिंह के फौत हो जाने पर उसकी विरासत का इन्तकाल ग्राम पंचायत खैडामैदा द्वारा विधि विरूद्व तरीके से विना वारिसान की जांच किये ही दिनांक 24.11.1990 को इन्तकाल संख्या 382 रेस्पो0 सं0 2, 3 के हक में स्वीकार कर दिया। जवकि अपीलाण्ट गुलाब की जायज वारिसान उसकी तीन पुत्रियों को ग्राम पंचायत द्वारा वारिस नहीं माना था जवकि अपीलाण्ट खुद व तर0 रेस्पो0 सं0 4 व रेस्पो0 संख्या 5 –6 की माता ग्यासो पुत्री गुलाब पत्नी जलसिंह जायज वारिस थी जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा विना वारिसान की जांच किये ही विधि विरूद्व तरीके से खिलाफ कानून व खिलाफ मौका के इन्तकाल संख्या 382 वाके ग्राम खैडामैदा को रेस्पो0 सं0 1 द्वारा आज्ञा दिनांक 24.11.1990 से फैसल किया गया है जो विरासत इन्तकाल निरस्त किया जावे तथा पुनः मृतक के वारिसान की जांच कर मृतक गुलाब का विरासत इन्तकाल विधिनुसार फैसल किया जावे। दिनांक 25.05.2015 को जव अपीलाण्ट पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड की फाइल बनवाने गयी तव पटवारी हल्का ने बताया कि ग्राम खैडामैदा में तुम्हारे नाम कोई जमीन नहीं है। तव प्रथम वार उक्त गलत इन्तकाल की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट को गलत इन्तकाल की जानकारी नहीं हो पाई। जानकारी होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। इन्तकाल फेसल करने की दिनांक 24.11.1990 से दिनांक 25.05.2015 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। इस देरी को कण्डोन करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अंलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपीलाध्ट ने अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 347 वाके ग्राम चौहरी कानगला फैसल दिनांक 06.04.2011 ग्राम पंचायत मसारी को निरस्त कर अपीलाण्ट के हक में इन्तकाल दर्ज वो तस्दीक करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 2 ला06 मय अधिवक्ता हाजिर आये।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 किता 4 व इन्तकाल संख्या 382 वाके ग्राम खैडामैदा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि अपीलाण्ट मृतक गुलाब पुत्र उमरावसिंह की सगी पुत्री है ग्राम पंचायत खेडामैदा ने मृतक पिता गुलाब का विरासत इन्तकाल स्वीकार करते समय सभी वारिसान को नहीं सुना ना नोटिस दिया ना बुलाया और ना कानूनी वारिसान की जांच की। अपीलाण्टा के अलावा तर0 प्रति0 सं0 4 ला05 भी मृतक की कानूनी वारिस है। रेस्पो0 सं0 1 ने मृतक पिता गुलाब का विरासत इन्तकाल संख्या 2–3 के नाम स्वीकार कर कानूनी भूल की है। अतः इन्तकाल संख्यार 382 वाके ग्राम खेडामैदा निरस्त कर मृतक का पुनः विरासत इन्तक़ाल सभी वारिसान के नाम स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल की शुरू से ही जानकारी थी विरासत इन्तकाल तीनों वहनों की सहमति से स्वीकार किया गया था। जिस विरासत इन्तकाल की बदयान्ति वष 28 साल वाद अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की वहस पर मनन किया। यह निर्विवाद है कि वादिया मृतक गुलाब की पुत्री है। ग्राम पंचायत ने मृतक गुलाब पुत्र उमरावसिंह का इन्तकाल संख्या 382 वाके ग्राम खेडामैदा अपीलाण्ट को विना सुने स्वीकार किया जाना सावित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक व्यक्ति के सभी वारिस पुत्र पुत्रियों की जांच कर विधि के मुताविक विरासत इन्तकाल स्वीकार किया जाना चाहिए था।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 382 वाके ग्राम खैडामैदा आज्ञा दिनांक 24.11.1990 ग्राम पंचायत खैडामैदा निरस्त किया जाता है। मृतक खातेदार गुलाब पुत्र उमराव की विरासत से सम्बन्धित उक्त इन्तकाल से प्रभावित आराजी वावत इसी अदालत में एक राजस्व वाद संख्या 1/644ए/15 पक्षकारान के मध्य विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारान के हक व अधिकार तय होगें। मृतक खातेदार गुलाब पुत्र उमराव की विरासत का इंतकाल अमल मुताबिक निर्णय नियमित वाद किया जावे। दावा के अंतिम निर्णय तक इंतकाल प्रोसिडिंग स्थगित रहेगी। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 15.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner